राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 27/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/45
दायर दिनांक– 16.06.2021
निर्णय दिनांक– 20.09.2023

उनवानी :–

1. गिरधारी पुत्र रामेश्वर
2. प्रेम पुत्री रामेश्वर
3. जड़ाव पत्नि मंगलाराम
4. वितीता पुत्री मंगलाराम
5. गीतांजली पुत्री मंगलाराम
6. मनराज पुत्री मंगलाराम
7. बजरंग पुत्र मंगलाराम
8. विश्राम पुत्र मंगलाराम

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. रतन पुत्र रामेश्वर जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–: 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके ख0न0 1148, 1160, 1161, 1163, 1413, 1414, 1415, 1479, 1480, 1481, 1482, 500, 832, 834, 835, 836, 1736 अवस्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का जमाबंदी अनुसार हिस्सा निहित है एवं हिस्से अनुसार वादीगण मौके पर काबिज काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में रतन पुत्र रामेश्वर के नाम इन्द्राज गलत चल रहा है जबकि रतन पुत्र रामेश्वर लगभग 35 वर्ष से लापता है एवं रतन पुत्र रामेश्वर अविवाहित है व कोई सन्तान नही है। वादी संख्या 1 लगायत 08 वाद वर्णित खसरान के प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पर मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित हिस्सा दर्ज है, जो गलत हो गया है जबकि वह लगभग 35 वर्षो से लापता है इसलिए यदि 7 वर्षो से अधिक लापता व्यक्ति है तो उसको मृत माना जाता है। मृतक व्यक्ति के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि वादीगण है इसलिए वादीगण अपने हिस्से के लिए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत सुरसुरा के द्वारा पाक्षिक बैठक दिनांक 22.02.2021 को प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित कर दिनांक 08.03.2021 को रतन पुत्र रामेश्वर के लापता होने के संबंध में एक प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। वाद कारण जमाबंदी रिकार्ड सम्वत 2073 से 2075 में रतन पुत्र रामेश्वर के नाम इन्द्राज होने के कारण पैदा हुआ है। वकील वादीगण की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरान भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

20.9.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अदम तामिल प्राप्त होने पर पुनः सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। एक माह की अवधि पश्चात भी कोई सूचना प्राप्त नहीं, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 की तामिली राष्ट्रीय समाचार पत्र "राष्ट्रदूत" से सूचना प्रकाशित करवाने के आदेश प्रदान किये गये। सूचना प्रकाशन होने के एक माह से अधिक होने पर प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में (प्रतिवादी संख्या 2) पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी।

तनकी न0 1– वादीगण वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से हिस्सा प्राप्त कर खातेदार कृषक घोषित किये जाने संबंधी डिक्री बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण प्राप्ति के अधिकारी है।

....जिम्मे वादीगण

तनकी न0 2– वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से हिस्सा प्राप्ति के अधिकारी है।

....जिम्मे वादीगण

वकील वादीगण ने वादी साक्ष्य शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किये, जिस पर गवाहान् के बयान दर्ज किये गये।

प्रकरण में वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 गत 35 वर्षो से लापता है,यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षो से अधिक लापता है तो उसे मृत मानते हुए उसके वारिसानों के नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रावधान हैं। इसलिए वादी संख्या 1 लगायत 8 को प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान मानते हुए उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अध्ययन, दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। वकील वादीगण की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

निर्णय –

तनकी संख्या 1– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी लापता है, ना ही प्रतिवादी की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। किसी व्यक्ति के लापता होने या मृत्यु हो जाने संबंधी घोषणा हेतु वादीगण को सक्षम न्यायालय से इस बाबत् प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए। केवल मात्र वादीगण के मौखिक कथनों के आधार पर प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध सिद्ध होने के कारण यह तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। किसी व्यक्ति के लापता होने या मृत्यु हो जाने संबंधी घोषणा हेतु वादीगण को सक्षम न्यायालय से इस बाबत् प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए। वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रतिवादी लापता है। इसलिए केवल मौखिक कथनों के आधार पर प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

इस प्रकार वादीगण अपना वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित करने में असमर्थ रहे है। अतः वादीगण द्वारा अपना वाद साबित नहीं करा पाने से वादी का वाद अंतर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested

20.9.23

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 27/2021

1. गिरधारी पुत्र रामेश्वर
2. प्रेम पुत्री रामेश्वर
3. जड़ाव पत्नि मंगलाराम
4. वितीता पुत्री मंगलाराम
5. गीतांजली पुत्री मंगलाराम
6. मनराज पुत्री मंगलाराम
7. बजरंग पुत्र मंगलाराम
8. विश्राम पुत्र मंगलाराम

सर्वजाति जाट, सर्वनिवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. रतन पुत्र रामेश्वर जाति जाट नि0 ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्वई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वयलाह पेश होकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा–88 स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 20.09.2023 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

20.9.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 13:17:34 IST
Reason: SelfAttested